



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय भवन, पंचम फ्लोर, सेक्टर-II, अलिगंज, लखनऊ-226024, टेलिफोन-2326696
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mefcc@nic.in

पत्र सं० 8वीं/यू0पी0/06/47/2022/एफ.सी./211

दिनांक: 07.07.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/141411/2021

विषय: जनपद जौनपुर के अन्तर्गत एन0एच0 डिवीजन-1 पीडब्ल्यूडी वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के चैनैज सं०-34.900 (भदोही) से चैनैज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवार्निकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1565/81-2-2022-800(34)/2022, लखनऊ, दिनांक-29.06.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्राहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रसंगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As stated by DFO in compliance of point no. 2, the area proposed for CA was earlier utilized for some other plantation as well. This needs clarification, that if the plantation has been declared as a failure and relevant entries have been made in the official records.
2. Road side plantation scheme needs to be submitted.
3. The NOC of concerned departments (Irrigation, Railway etc.) has to be submitted for the crossings.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड न०-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 120 /11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 08, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड न०-1, लो०नि०वि०, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अप्रैसित

(अनुर चन्द्र)

अपर सांख्यिकीय अधिकारी
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

Sean

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।